ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश सं0– 252/16–17

किशुन लाल महतो बनाम् देवनारायण महतो

–: आदेश :–

2.2021

वर्त्तमान वाद आवेदक किशुन लाल महतो, पे0–स्व0 महेन्द्र महतो, सा0 व थाना–ललमटिया, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–नीमाकला नं0–41, जमाबंदी नं0–04, दाग नं0–744 के अंदर रकवा–00–08–00 धूर भूमि से विपक्षीगण देव नारायण महतो व दीप नारायण महतो, दोनों पे0–प्रहलाद महतो, सा0–हिजुकिता, वर्त्तमान सा0 व थाना–ललमटिया, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है। तद्नुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रासंगिक भूमि जमाबंदी रैयत उखु महतो के नाम सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है, जो आवेदक के परदादा हैं। प्रासंगिक भूमि का बंटवारा पूर्व में ही जमाबंदी रैयत के वारिसानों के बीच कर दिया गया है तथा सभी अपने–अपने हिस्से की भूमि पर दखलकार हैं और खजाना अदा करते आ रहे हैं। प्रासंगिक भूमि आवेदक के हिस्से की भूमि है। विपक्षीगण बाहरी व्यक्ति हैं तथा प्रासंगिक भूमि से विपक्षीगण का कोई सरोकार नहीं है। प्रासंगिक भूमि विपक्षीगण के कब्जे में है तथा वे जबरन भूमि हड़पना चाहते हैं। उभय पक्षों के बीच कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। विपक्षीगण दबंग एवं मनबढ़ु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक भूमि के पर्चा की छाया प्रति समर्पित करते हुए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् प्रासंगिक भूमि से विपक्षीगण को उच्छेद करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उक्त वाद विपक्षीगण पर चलने योग्य नहीं है। उभय पक्ष आपस में ममेरो भाई व फुफेरे भाई हैं। विपक्षीगण को परेशान करने की नियत से उक्त वाद लाया गया है। प्रासंगिक भूमि आवेदक के चाचा नाथुराम महतो के द्वारा दिनांक–23.11.2000 को रजिस्ट्री के माध्यम से विपक्षीगण को प्राप्त है, जिसपर बने मकान में वे सपरिवार निवास कर रहे हैं। विपक्षीगण का मकान प्रासंगिक मौजा अंतर्गत नहीं बल्कि मौजा–ललमटिया नं0–43, जमाबंदी नं0–03 के अंदर 00–05–00 धूर भूमि पर 30 वर्ष पूर्व से बना हुआ है, जिसमें वे सपरिवार निवास कर रहे हैं। अंत में आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

इंटरभेनर मोतीलाल महतो के द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से बताया कि उक्त वाद आवेदक द्वारा विपक्षीगण को परेशान करने की नियत से लाया गया है। प्रासंगिक मौजा अंतर्गत कुल रकवा– 04–14–08 धूर भूमि राजमहल परियोजना, ललमटिया द्वारा सन् 1981 में पी0बी0ए0 एक्ट के तहत् अधिग्रहण किया जा चुका है। उक्त से संबंधित शपथ पत्र कार्यपालक दंडाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में दिनांक–03.07.2010 को मोतीलाल महतो व शंकर महतो के समक्ष किया गया है।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने अपने पत्रांक–349/रा0, दिनांक–08.07.2021 के द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि प्रासंगिक भूमि अंतर्गत कुल रकवा– 04–14–08 धूर जमीन जमाबंदी रैयत उखु महतो वल्द धनु महतो, कौम–कुरमी, सा0–हिजुकिता कहकर विगत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। प्रासंगिक भूमि के आंशिक भाग पर विपक्षीगण का मोटर गैरेज है। साथ मौजा–ललमटिया नं0–43, जमाबंदी नं0–03 के अंदर विपक्षीगण मकान एवं गैरेज अवस्थित है। आवेदक जमाबंदी रैयम उखू महतो के छरपोता हैं।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अभिलेख में संलग्न कागजात एवं अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत स्पष्ट है कि मामला स्वत्व निर्धारण से संबंधित है। वर्त्तमान न्यायालय स्वत्व निर्धारण हेतु समक्ष न्यायालय नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई बिना किसी टिप्पणी के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.02.03 13:29:36 +05:30
Location: 192.168.8.107